उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1428/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.242-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(300)-2023

लखनऊः दिनांकः 31 अक्टूबर ,2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-844/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(11)-2017 दिनांक 30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 5 के समक्ष, स्तम्भ (2) में, मद (2) में, उप मद (i) में, शब्द "डाक विभाग" के पश्चात् शब्द और कोष्ठक "और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) " बढ़ा दिया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 5क के समक्ष, स्तम्भ (2) में, शब्द "केंद्र सरकार" के पश्चात् शब्द "[रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) को छोड़कर]" बढा दिये जायेंगे।

2 यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव